आदिवासी जनजातिके अधिकार

नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण
पोष्टा श्रृङ्खला
६

संवैधानिक संवाद केन्द्र
CENTRE FOR CONSTITUTIONAL DIALOGUE

संवैधानिक संवाद केन्द्र

प्रकाशक

संवैधानिक संवाद केन्द्र
पहिला संस्करण : २०६५ साल
प्रतिलिपि अधिकार © संवैधानिक केन्द्र सर्वाधिकार सुरक्षित बा । सामग्रीके स्रोतके रुपमे संवैधानिक संवाद केन्द्रहे साभार व्यक्त कैके गैरब्यावसायिक प्रायोजनके लग यी पोष्टाके अंश फेन प्रकाशन ओ/वा उल्था करे सेक्जाई । उ फेन प्रकाशन ओ/वा उल्था कैलक एकप्रति संवैधानिक संवाद केन्द्रहे उपलब्ध कराईकपरी ।

साजसज्जा ओ मुद्रण

प्रिन्ट प्वाइन्ट पब्लिसिङ, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ ।

थप जानकारी वा यी पोष्टाके लग तरक ठेगानामे सम्पर्क कैबी

संवैधानिक केन्द्र
तेसर तल्ला, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, नयाँ बानेश्वर, काठमाण्डौं
टेलिफोन नं. ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८
ई-मेल : info@ccd.org.np
वेबसाइट : www.ccd.org.np

आदिवासी जनजातिके अधिकार

शृङ्खला - ६

आदिवासी जनजातिके अधिकार १
परिचय १
आधारभूत अवधारणा ओ परिभाषा २
नेपालके आदिवासी जनजाति ३
अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड ५
नेपालमे विद्यमान कानुनी ओ नीतिगत संयन्त्र ६
निष्कर्ष ८

आदिवासी जनजातिके अधिकार

परिचय

नेपालमे अब्बे आदिवासी जनजातिके अधिकारसम्बन्धी विषय सबसे आगे आइल बा ओ खासकैके लावा संविधान लिख्ना सन्दर्भमे यी गहन बहसके विषय बनल बा । यी बह्रटी रुपमे राजनीतिकृत मुद्दा हुइल बा । नेपालके जनसङ्ख्याके स्वरूपमे जातीय विविधता उल्लेख्य रूपमे बावै । जम्मा जनसङ्ख्याके लगभग एक तिहाइसे धेर जनसङ्ख्या आदिवासी जनजाति बटाँ । ओस्टक यहाँ बहिष्करण ओ सीमान्तीकरणके लम्मा इतिहास बा कलेसे मेरमेरके जातीय समूहबीच स्पष्ट सामाजिक ओ आर्थिक भिन्नता बा ।

आदिवासी जनजातिसम्बन्धी प्राथमिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संयन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनके आदिवासी जनजातिसम्बन्धी महासन्धि (अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, नं १६९) अनुमोदन कैना संसारके २० ठो देशमध्ये एकठो (ओ एसियाके एकठो किल) देश नेपाल हो । यी सन् २००७ के सेप्टेम्बरमे उ महासन्धि अनुमोदन कैले रहे । ओस्टेक नेपालमे सन् २००२ यहोंर आदिवासी जनजातिसम्बन्धी कानुन फेन सक्रिय बा । यी संयन्त्र आदिवासी जनजातिके समूह ओ मनैन्हे महत्वपूर्ण अधिकार देले बा । यी अधिकारमे आपन संस्था, जनजीवन ओ आर्थिक विकाससम्बन्धी पक्षउपर नियन्त्रण करे पैना ओ आपन पहिचान कायम कैना ओ ओकर विकास करे पैनासम्बन्धी अधिकार समावेश बा । ओस्टेक आदिवासी जनजातिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र-२००७ आऊर दूरगामी हुइनाके साथे यम्ने धेर बात समेट गैल बा, मने यी बाध्यकारी दस्तावेज भर नै हो । यी दस्तावेज आदिवासी जनजातीय अधिकारके विकासके लाग मूल सन्दर्भ ओ पैरवी सामग्री बनल बा ।

आदिवासी जनजातिके अधिकारसम्बन्धी बहस समाजके धेर तह ओ तप्कामे सब वर्गके बर सहभागिता, स्वशासन ओ सशक्तीकरणके विषयमे सर्वसाधारणके ध्यानाकर्षण फेन कैले बा । यहाँ बहस कलक समग्र जनताके आकाङ्क्षासँगे सन्तुलन कैके मानव अधिकार ओ लोकतन्त्रके मान्य सिद्धान्तके साथ एकीकृत, शासनीय ओ समृद्ध नेपालके स्थापना कैना लक्ष्यसहित नेपालके आदिवासी जनजातिके सम्भव हुइटसम बर स्तरके स्वायत्तताहे लावा संविधान कैसिक उत्कृष्ट रूपमे प्रत्याभूत कैना चाहि ओ का कैसिन संयन्त्रसे यकर प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित करे सेक्जाइठ कना रहल बा ।

आदिवासी जनजातिके न्यायोचित आवश्यकता ओ आकाङ्क्षाहे सैंटना चुनौती संसारके धेर देश सामना कैले बटाँ । आदिवासी जनजातिन् दशकौं वा अभिन शदियौंसे जो सीमान्तीकृत हुइटी

आइल बटाँ । हालके वरषमे ओइनके गम्भीर अवस्थाबारे विश्वव्यापी रूपमे थप चेतना विस्तार हुइल बा । एकओर विगतमे हुइलेक अन्यायहे उल्ट्याई नैसेक्जाइ कलेसे दोसरओर ओइन उपर हुइल अन्यायके क्षतिपूर्ति डेहवइना उपाय पत्ता लगैना चुनौतीक् रूपमे बा । नेपालमे यी विषयमे संवैधानिक बहसभर शुरु हुइल बा । संवैधानिक स्वरूप वा व्यवस्थामे रना सीमाके सम्बन्धमे फेन सचेत हुइना बाहेक संविधान अप्नेहेमे कौनो समाधान नैहोके तात्कालिक 'समाधान'ओर डोऱ्यइना एक पक्ष किल हुइ सेकठ कना बातेम फेन सचेत हुइना जरुरी बा ।

आधारभूत अवधारणा ओ परिभाषा

आदिवासी जनजातिसम्बन्धी एकठो सर्वाधिक कठिन ओ विवादास्पद मुद्दा कलक ओइनके परिभाषा हो । बहुत्ते अधिकार सामूहिक अधिकारके रूपमे रलक ओरसे यी विशेष रूपमे सान्दर्भिक बा । परिभाषामे ऐतिहासिक व्याख्या, मानवशास्त्रीय ओ सामाजिक पक्ष, कानुनी आधार (देश अनुसार फरक फरक) ओ सम्बन्धित समूहके अप्ने परिभाषा जैसिन पक्ष समावेश बा ।

सामान्यतः आदिवासी जनजाति कना शब्दले कौनो खास क्षेत्रके मौलिक बासिन्दा अर्थात् आबक् प्रभावशाली वा प्रभुत्व जमैटी जातीय समूह अइना वा सम्बन्धित राज्य/क्षेत्रके सीवाना तय कैनासे फेन पहिलेसे ऊ ठाँउमे बसोबास कैलेक वा कैटी अइलक बासिन्दन्हे जनाइठ । यी तथ्यहे उपनिवेशके इतिहास बोक्लक ओ बर परिमाणमे जनसङ्ख्याके बसाइसराइ हुइलक अमेरिका ओ अष्ट्रेलिया जैसिन देशके सन्दर्भमे स्थापित कैना धेर सहजे हुइ । साथसाथे यी कौनो राज्यके शासन व्यवस्थाके प्रभावसे मुक्त उष्ण सदाबहार वनक्षेत्र जैसिन ठाँउमे स्वतन्त्र रूपमे वा एकाङ्गी रूपमे बैठ्टी अइलक मनैन्हे फेन जनाइठ । यकर थप मापदण्ड का फेन हो कलेसे उ मनै आपन छुट्टे मातृभाषा, सांस्कृतिक ओ सामाजिक/संस्थागत विशेषताहे कम्तीम आंशिक किलामे हुइलेसे फेन बँचाके (कायम राखेको) धैले रना चाहि, ओइनके वरपर रलक राज्यके जनसङ्ख्या ओ प्रभुत्व जमैटी रलक संस्कृतिसे कुछ हदसम फरक रना चाही । दोसर महत्वपूर्ण पक्ष कलक ओइने आपनहे आदिवासी जनजातिके रूपमे स्वपहिचान कैलक हुइना चाही वा/ओ अन्य समूह उहीहे स्वीकर्ले रना चाही ।

यी परिभाषामे कुछ समस्यागत पक्ष फेन बा । उप्पर उल्लेखित सक्कु मापदण्ड पूरा हुइलेसे फेन कुछ मनै वा समूह आपनहे आदिवासी जनजाति नै माने सेक्ठाँ वा सरकार, मेरमेरके संस्था वा विद्वान्लोग फेन ओइसिन नैमाने सेक्ठाँ । व्यक्तिगत वा एकल पहिचान सामूहिक पहिचानसे फरक हुइसेकठ । ओस्टहक इतिहासके अभिलेखन हुइनासे पहिले जो मनै एक दोसरके जग्गाउपर आक्रमण कैना, उही उपनिवेश बनैना ओ उहाँ बसाइँ सरना काम कैले बटाँ, ओहेसे आदिवासी ओ गैर आदिवासी, मौलिक बासिन्दा वा उपनिवेशकर्ताबीच फरक छुट्यइना विवेकमे भर पर्ना बात फेन हो । ओस्टक आदिवासी जनजातिके पहिचान ओ अधिकारसम्बन्धमे आज बृहद् चेतना हुइल पा जाइठ । यी चेतनाले समाजहे मान्यताके लाग माग कैना ओ बृहत्तर गौरवके अनुभूतिओर डोऱ्यइले बा ।

अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं. १६९ के परिभाषा अनुसार यम्ने उल्लेखित अधिकार तरे लिखल हकमे लागू हुई : (१) राष्ट्रिय समुदायके आउर वर्गसे फरक छुट्टे सामाजिक, सांस्कृतिक ओ आर्थिक अवस्था हुइलक ओ पूर्ण वा आंशिक रूपमे अपने प्रथा वा परम्परा वा विशेष कानुन वा नियमसे नियमन कैगैलक हैसियत रहलक आदिवासी जनजाति; ओ (२) विजय वा औपनिवेशीकरण वा वर्तमान राज्य सीमाना निर्धारण कैलक समयमे उ क्षेत्रमे वंशपरम्परासे आदिवासीके रूपमे बैठ्टी अइलक मानगैलक, ओ सक्कु वा आंशिक रूपमे आपन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक ओ राजनीतिक परम्परा कायम कैटी अइलक मनै । यी बाहेक, अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं. १६९ उ महासन्धिके व्यवस्था समेट्ना समूहके निर्धारणके लाग आदिवासीके रूपमे स्व-पहिचानहे आधारभूत मापदण्ड (एकठो किल विशेष तत्वके रूपमे भर नाहीं) मन्ले बा ।

नेपालके आदिवासी जनजाति

राष्ट्रिय जनगणना-२०५८ अनुसार नेपालके जम्मा जनसङ्ख्या (उ समयमे दुई करोड २७ लाख लगत कैगैलक मने हाल अनुमानित दुई करोड ८० लाख)क ३६.३१ प्रतिशत आदिवासी जनसङ्ख्या (आदिवासी जनजातिके रूपमा परिचित) बटाँ । नेपालके कुल ७५ जिल्लामध्ये २७ जिल्लामे आदिवासी जनसङ्ख्याके बाहुल्य बा । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन-२०५८ जारी कैके नेपालमे मेरमेरके ५९ आदिवासी जनजातिन्के पहिचान कैनाके साथे ओइनहे मान्यता डे गैल बा । उ ऐनके अनुसार, “आदिवासी/जनजाति कहलक आपन मातृभाषा ओ परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टे सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टे सामाजिक संरचना ओ लिखित वा अलिखित इतिहास हुइलक जाति वा समुदायहे सम्झेपरठ ।” उमध्ये चार आदिवासी जनजाति (मगर, थारु, तामाङ ओ नेवार)के जनसङ्ख्या करिब १० लाखसे ३६ लाखको बीचमे, पाँच समुदायके जनसङ्ख्या एक लाखसे १० लाखको बीचमे बा कलेसे बहुतहस समुदायके जनसङ्ख्या एक हजारसे कम बा । यी ऐनके अनुसूचीमे ५९ आदिवासी जनजातिके नाँउ सूचिकृत कैगैल बा ।

हिमाल

१. बाह्रगाउँले	७. ल्होमी (सिङसाबा)	१३. थकाली
२. भोटे	८. ल्होपा	१४. थुदाम
३. ब्यासी	९. मार्फाली थकाली	१५. तीनगाउँले थकाली
४. छैरोतन	१०. मुगाली	१६. तोप्कोगोला
५. डोल्पो	११. सियार	१७. शेर्पा
६. लार्के	१२. ताङबे	१८. वालुङ

पहाड

१. बनकरिया	९.हायु	१७. नेवाः
२. बराम	१०. ह्योल्मो	१८. पहरी
३. भुजेल/घर्ती	११. जिरेल	१९. राई
४. चेपाङ	१२. कुसबाडिया	२०. सुनुवार
५. छन्त्याल	१३. कुसुण्डा	२१. सुरेल
६. दुरा	१४. लेप्चा	२२. तामाङ
७. फ्री	१५. लिम्बु	२३. थामि
८. गुरुङ	१६. मगः	२४. याक्खा

भित्री मधेश

१. बोटे	४. कुमाल	७. राउटे
२. दनुवार	५. माझी	
३. दरै	६. राजी	

तराई

१. धानुक	५. किसान सन्थाल	९. ताजपुरिया
२. धिमाल	६. मेचे	१०. थारु
३. गनगाई	७. राजवंशी (कोचे)	
४. झाङ्गड	८. सतार/(राजवंशी)	

राष्ट्रिय औसतके तुलनामे नेपालके बहुसङ्ख्यक आदिवासी जनजाति आर्थिक ओ आउर मानव विकास सूचकाङ्कके परिप्रेक्ष्यमे पाछे परटी रहठाँ । अनुमानित तथ्याङ्कके अनुसार आधासे धेर आदिवासी जनसङ्ख्या गरिबीके रेखक् तरे बा। संरचनात्मक विभेद, न्यून राजनैतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा, तालिम ओ रोजगारीक् अवसर ओ सशक्तीकरणमे पहुँचके अभावसे आदिवासी जन्तन्के गरिबी चिरस्थायी रनक साथे अभिन गहिंर हुइटी बा । राजनैतिक प्रतिनिधित्वके सन्दर्भमे आदिवासी जनजाति दलितसे उपर मने आउर जातीय समूहसे तरे बटाँ ।

नेपालके आदिवासी जनजाति खास कैके गाँउ क्षेत्रमे बसोबास करठाँ ओ प्राथमिक रूपमे पराम्परागत कृषि पेशामे लागल बटाँ। अभिन फेन नेपालके धेर आदिवासी जनजाति पराम्परागत पेशा सम्हरटी बटाँ। धेरहस परम्परागत कृषिमे संलग्न रहलसे फेन उब्जनी ओ पेशाके सन्दर्भमे यहाँक् ५९ ठो आदिवासी जनजातिबीच महा धेर विविधता पा जाइठ । ओइने शहरसे गाउँसम फैलल बटाँ कलेसे कोइ शिकारी ओ फिरन्ते जिन्गी बितैटी बटाँ। परम्परागत स्वरूपके उत्पादनसे भरवा (भारी) बोक्ना, व्यापार कैना ओ गलैंचा बिन्ना कामेम फेन ओइनके संलग्नता पा जाइठ ।

अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड

आदिवासी जनजाति महासन्धि-१९८९ (नं. १६९)हे २० राष्ट्रसे अनुमोदन करे सेक गैल बा । यी भूमि अधिकार, प्राकृतिक साधनस्रोतमे पहुँच, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगारीके स्थिति ओ सीमापार सम्पर्कलगायतके महाधेर विषय समेट्ले बा । मूल अवधारणा परामर्श, सहभागिता ओ स्वव्यवस्थापन हो । आदिवासी जनजातिन्से सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियाके सक्कु तहमे ओइनके पूर्ण सहभागिता हुइलक सुनिश्चितता कैना ओ ओइनसे सल्लाह कैना सरकारके दायित्व यी सिर्जैले बा ।

यी महासन्धिके बहुटसे प्रावधान सरकारके लाग दायित्व सिर्जैले बा कलेसे आदिवासी जनजातिन्के अधिकार सुरक्षित कैले बा । आदिवासी जनजातिके अधिकार संरक्षण कैना ओ ओइनके निष्ठाप्रति सम्मानके प्रत्याभूति कैना समन्वयात्मक ओ व्यवस्थित कदमके तर्जुमा सम्बन्धित जन्तन्के सहभागितासे कैना जिम्मेवारी सरकारउपर रहठ ।

आपन जिन्गी, विश्वास, संस्था ओ आध्यात्मिक हित ओ ओइनके स्वामित्वमे रलक वा ओइने आउर मेरसे प्रयोग कैटी अइलक जग्गाउपर प्रभाव पर्ना विकास प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय आपन जो प्राथमिकता अनुसार कैना अधिकार आदिवासी जनजातिहे रहठ । आपन आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक विकासउपर सम्भव हुइटसमके नियन्त्रण कैना अधिकार फेन ओइनहे रहठ । यी बाहेक, ओइनहे प्रत्यक्ष रूपमे प्रभाव पर्ना राष्ट्रिय ओ क्षेत्रीय विकास योजना ओ कार्यक्रमके तर्जुमा, कार्यान्वयन ओ मूल्याङ्कन प्रक्रियामे सहभागी हुइना अधिकार फेन ओइनहे रहठ ।

सन् २००७ मे संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभासे आदिवासी जनजातिके अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र पारित कैके संयुक्त राष्ट्रसङ्घ संसारभरके आदिवासी जनजातिन्के अधिकार प्रवर्धन ओ संरक्षण कैना सन्दर्भमे समग्रमे महत्वपूर्ण कदम चल्ले बा । बाध्यकारी नै हुइलक उ घोषणापत्र आदिवासी जनजातिन्के व्यक्तिगत ओ सामूहिक अधिकार उल्लेख करटी बह्रटा उदार अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनके महासन्धि नं. १६९ से उल्लेख्य रूपमे आगे बह्रल बा । घोषणापत्र ओ महासन्धि नं. १६९ के प्रावधान एक आपसमे मेल खैना ओ सँगसँगे लागू करे सेक्जैना मेरके बा । आपन प्रावधानके कार्यान्वयनके लाग सहयोग कैनासम्बन्धमे घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायके विशेष भूमिकाके व्यवस्था कैले बा । विशेष कैके, यी सन्दर्भमे अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनके महत्वपूर्ण भूमिका बटिस ।

अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनके महासन्धि 'आत्मनिर्णय' शब्द प्रयोग नैकैले से फेन पछिल्का संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाके घोषणापत्र यी सन्दर्भमे बहुट प्रष्ट बा । यकर धारा ३ मे उल्लेख कैगैल बा - "आदिवासी जनजातिन्हे आत्मनिर्णयके अधिकार बा । ओइने आपन राजनीतिक हैसियत निर्धारण स्वतन्त्र रूपसे करठाँ । आपन आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक विकासके लाग स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयास करठाँ ।" घोषाणापत्रमे आगे लिखगैल अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घके

बडापत्रविपरितके कौनो क्रियाकलापमे केउ फेन संलग्न हुइसेक्ना अर्थ यी बोक्लक रूपमे यकर व्याख्या भर करे नै मिली । सार्वभौम ओ स्वतन्त्र राज्यन्के क्षेत्रीय अखण्डता वा राजनीतिक एकताहे विच्छिन्न परना वा बिगार कैना कौनो काम कैना अधिकार वा प्रोत्साहन यी नै देना बात यम्ने प्रष्टसे उल्लेख कैगैल बा ।

नेपालमे विद्यमान कानुनी ओ नीतिगत संयन्त्र

हालके बरषमे नेपाली समाजके बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक चरित्र ओ राजनीतिक स्थायित्व ओ सामाजिक प्रगतिके लाग यी विविधताहे सम्मान करेपर्ना आवश्यकताउपरके मान्यतामे वृद्धि हुइटी बा । सरकार बहुट महत्वपूर्ण कानुनी ओ नीतिगत दस्तावेजमे आदिवासी जनजातिन्के अधिकार ओ आवश्यकतक् विशेष सन्दर्भहे समावेश कैले बा । यकर उदाहरणके रूपमे संवैधानिक कानुन ओ विशेष कानुनके साथे सरकारके खास योजना बनैनासम्बन्धी दस्तावेजमे कैगैलक नीतिहे लेहेसेक्जाइठ ।

नवौं पञ्चवर्षीय योजना (वि.सं. २०४८ - वि.सं. २०५३) से नेपाल सरकार आदिवासी जनजातिन्के उपस्थितिहे पूर्ण रूपमे मान्यता देलक देखजाइठ। ओकर पाछेक योजनामे आदिवासी जनजातिन्के सर्वतोमुखी विकास ओ उत्थानका लाग सरकार धेरसे प्रतिबद्धता समावेश कैटी जाइ लागल । खासकैके थारु आदिवासीन्हे प्रभावित कैटी रलक कमैया प्रथाहे सरकार २०५७ साल साउन २ गते उन्मूलन करल। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन-२०५५ निर्वाचित स्थानीय निकायमे आदिवासी जनजातिन्के लाग विशेष आरक्षणके व्यवस्था करल। आउर क्षेत्रके तुलनामे स्थानीय निकायमे आदिवासी जनजातिन्के प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपमे उप्पर (२९ प्रतिशत) रहे (मने स्थानीय निकायहे २०५९ साल असार ३१ गते विघटन कैगैल रहे) ।

आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानके स्थापना २०५८ सालमे हुइल । आदिवासी जनजातिन्के उत्थान ओ सशक्तीकरण कैना उद्देश्यसहित स्थापना कैगैलक आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान एकठो स्वायत्त सरकारी निकाय हो । ७५ ठो जिल्लामे आदिवासी/जनजातिसम्बन्धी कार्यक्रम अनुगमन करेक लाग जिल्लास्तरीय एकाइ स्थापना कैनामे यकर क्रियाकलाप केन्द्रित बटिस। यी एकाइ जिल्ला विकास समितिके लग्गेक सहयोगमे काम काम कैना रहिस मने यी निकाय २०५९ सालसे जो निस्क्रिय हु सेक्लक बात उपरे जो उल्लेख कैगैल बा। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानके ऐसिन उद्देश्य बटिस :

- कार्यक्रम तर्जुमा ओ कार्यान्वयन कैके आदिवासी/जनजातिन्के सर्वाङ्गीण विकासहे प्रवर्धन कैना,
- आदिवासी जनजातिन्के भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला ओ इतिहासहे संरक्षण ओ प्रवर्धन कैना,
- आदिवासी जनजातिन्के परम्परागत ज्ञान, सीप ओ प्रविधिहे संरक्षण ओ प्रवर्धन कैना,

» धेर आदिवासी/जनजातिक्, जातजाति ओ सम्प्रदायबीच बढ़िया सम्बन्ध, सद्भाव ओ सामञ्जस्य कायम कैके देशके समष्टिगत विकासके मूल प्रवाहमे आदिवासी जनजातिन्के सहभागिताहे प्रवर्धन कैना ।

हालके बरसमे कैयौ गैसस ओ पैरवी समूह फेन देखापरल बटाँ । ५९ ठो आदिवासी जनजातिके प्रतिनिधित्व कैना छाता सङ्गठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ आदिवासी समुदायन्के उत्थान ओ सशक्तीकरणके बिषयमे क्रियाशील बा ।

द्वन्द्वके समाप्ति ओ २०६३ साल वैशाखमे दोसर जन-आन्दोलनके सफलतापाछे यी प्रक्रिया आउर बल्गर बनल । अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनके महासन्धि नं. १६९ (सन् २००७ सेप्टेम्बरमे अनुमोदित)के अतिरिक्त नेपाल आदिवासी समुदाय ओ ओइनके सदस्यन्के अधिकार संरक्षण कैना आउर कुछ अन्तरराष्ट्रिय संयन्त्र फेन अनुमोदन कैल । नेपाल सन्धि ऐन-२०४७ के धारा ९ के अनुसार सन्धिके प्रावधान नेपालमे कानुनहस बाध्यकारी बा । अनुमोदन कैगैल सन्धिक् प्रावधान आन्तरिक कानुनके प्रावधानसे बाझगैल कलेसे बझ्लक हदसम आन्तरिक कानुन बदर हुइलेक मान्जाइठ । ऊ व्यवस्था अनुसार सन्धिक् प्रावधान नेपालके कानुनके रूपम जो लागू हुइठ ।

ऊ प्रगति संवैधानिक तहमे फेन प्रतिविम्बित हुइल बा ओ उहे क्रममे यी अन्तरिम संविधान ओ हाल संविधानसभा सञ्चालनके आधारभूत सिद्धान्तमे फेन प्रवेश पैले बा । २०४७ सालके संविधानमे नेपालहे बहुजातीय, बहुभाषिक ओ वहुसांस्कृतिक देशके रूपमे घोषणा कै गैल रहे मने अभिन फेन बहुटसे संवैधानिक प्रावधान (हिन्दू राज्य, सरकारी भाषाके रूपमा नेपाली)हे आदिवासी जनजातिविरुद्ध विभेदकारी रूपमे ले गैल रहे कलेसे कार्यान्वयन संयन्त्र ओ राज्यके दायित्व सुनिश्चित नै कैगैल रहे ।

नेपालके अन्तरिम संविधान-२०६३ आदिवासी/जनजातिके अधिकारके सन्दर्भमे विगतके तुलनामे बहुट उदार व्यवस्था कैले बा । कोइकोइ आदिवासी समूह लम्मा समयसे मागहे पूरा कैटी नेपालहे धर्मनिरपेक्ष गणराज्यके रूपमे घोषणा कैनाके साथे यी राज्यक् सक्कु संरचनामे जो समानुपातिक समावेशी नीति फेन अप्नैले बा । मौलिक हकसम्बन्धी भागके धारा २१ मे सामाजिक न्यायके हकहे समेट गैल बा ओ यी आदिवासी जनजाति ओ आउर जन्हनहे समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके संरचनामे सहभागी हुइना हक देले बा । राज्यके दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त ओ नीतिसम्बन्धी भागमे देशके राज्य संरचनाके सक्कु अङ्गमे आदिवासी जनजाति ओ अन्य सक्हुन्हे समानुपातिक समावेशीके आधारमे सहभागी करैना राज्यके दायित्व (धारा ३३ (घ१) ओ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यसम्प्रभुता ओ रोजगारीमे निश्चित समयके लाग आरक्षणके व्यवस्था कैके आर्थिक ओ सामाजिक रूपले पिछरल आदिवासी जनजातिके उत्थान कैना नीतिके साथे सकारात्मक विभेदके आधारमे विशेष व्यवस्था कैना नीति उल्लेख कैगैल बा (धारा ३५ (१०), (१४)) । ओस्टक, धारा १४४ (४क) मे सेनामे आदिवासी जनजाति ओ आउर जन्हनके प्रवेशहे समानता ओ समावेशी सिद्धान्तके आधारमे कानुनमे व्यवस्था कैके सुनिश्चित कैना व्यवस्था कै गैल बा ।

संविधानसभा अप्नेहे फेन आदिवासी जनजातिके पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्तिके आधारमे गठन कै गैल बा । राजनैतिक दल उम्मेदवार चयन करेबेर समावेशी सिद्धान्तहे ध्यान देहेपर्ना ओ राजनैतिक दल उम्मेदवारलोगन् सूचिकृत करेबेर निर्वाचन कानुनमे व्यवस्था हुइल बमोजिम आदिवासी जनजाति ओ आउर जन्हनके समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेपर्ना व्यवस्था अन्तरिम संविधान कैले बा (धारा ६३) । मन्त्रिपरिषद्, निर्वाचित नैहुइलक, २६ जाने सभासद्के मनोनयन करेबेर चुनावसे प्रतिनिधित्व हुइ नैसेक्लक आदिवासी जनजातिमध्येसे मनोनयन करेपर्ना कर्तव्य फेन सिर्जना कै गैल बा । ओहेसे संविधानसभाके ६०१ जाने सदस्यमध्ये यकर सभामुखलगायत करिब २१८ जाने आदिवासी जनजातिसे परल बटाँ ।

अन्तरिम संविधान लावा संविधानके मसौदा तयार करेबेर संविधानसभा पालना करेपर्ना कुछ आधारभूत सिद्धान्त फेन निर्धारण कैले बा । इहीसे आदिवासी जनजातिन् ओ दोसरके स्वायत्त प्रदेशके चाहनाहे स्वीकार कर्टी नेपालहे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यक् रूपमे घोषणा कैले बा । अन्तरिम संविधान आघे उल्लेख करल अनुसार नेपालके सार्वभौमिकता, एकता ओ अखण्डताहे अक्षुण्ण रख्टी स्वायत्त प्रदेशके सीमा, सङ्ख्या, नाँउ ओ स्वायत्त प्रान्तके संरचना बाहेक अधिकार ओ साधनस्रोतके बँट्वारा संविधानसभासे कैजाइ (धारा १३८ (१क) ।

निष्कर्ष

लावा संविधानके मस्यौदा तयार कैना क्रममे आदिवासी जनजातिन्के अधिकार सुनिश्चित करक लाग व्यापक छलफल हुइना जरुरी बा । अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन ओ अन्य सान्दर्भिक अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डसे उत्प्रेरणा लेना फेन ओत्रे जरुरी बा । संविधानमे लिखलहस व्यवहारमे अधिकार उपभोग करेक लग आदिवासी जनजाति सशक्त हुइसेक्ना उपयुक्त संयन्त्रक लग संवैधानिक प्रावधानके व्यवस्था करक लाग हरदम प्रयाससम्बन्धी आवश्यकता सब्से जरुरी पक्ष हो । उदाहरणके लाग, लावा संविधान निश्चित अधिकार स्थापित कैनाके साथे ओकर कार्यान्वयन सम्बन्धमे चेवा कैना जिम्मेवारीसहितके एकठो विशेष निकायके व्यवस्था फेन करेसेकी । कुछ देश आपन आदिवासी समुदायहे संविधानके अनुसूचीमे जो सूचिकृत फेन कैले बटाँ (उदाहरणके लग, भारतके 'सूचिकृत आदिवासी') ।

कौनो फेन अवस्थामे, आदिवासी समूहके सम्भावित सक्कु गुनासोके समाधान ओ ओइनके सक्कु आकाङ्क्षाके सम्बोधन संविधान अप्नेहे करी कना आश भर नै कैना चाही । आदिवासी जनजातिन्के अधिकारके प्रतिबद्धता संविधानमे किल सीमित नैहोके ओकर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेक लग कानुन, नीति ओ उपयुक्त सरकारी आर्थिक सहयोग हुइलक कार्यक्रममे फेन विस्तार हुइना जरुरी बा । साझेदारी ओ सहयोगके माध्यमसे बिबाद सल्ट्वाइक लाग उपाय पता लगाइ सेक्लेसे किल राज्य ओ आदिवासी जनजातिबीच बल्गर, सन्तुलित ओ सिर्जनशील सम्बन्ध विकास हुइसेकठ ।

पोष्टक-शृङ्खलक बारेम

संविधानसभक् सदस्य ओ इच्छुक सर्बसाधारणहे संविधान निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी आधारभूत जानकारी उपलब्ध करैना जो यी पोष्टा-शृङ्लाके उद्देश्य हुइस । यी प्रकाशन संवैधानिक परिणामबारे कौनो फेन मेरसे पूर्वानुमान कैना अवधारणापत्र वा प्रस्ताव वा मनसाय नै हो । यी शृङ्खला संयुक्त राष्ट्रसंघीय बिकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) के 'नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माणके लग सहयोग' (एसपीसीबीएन) परियोजनाके समन्वयमे नेपाली ओ अन्तर्राष्ट्रिय संबिधानविदन्के सामूहिक प्रयासके प्रतिफल हो ।

यी पोष्टाहे अभिन परिस्कृत बनाइक लग प्रतिक्रिया ओ टिप्पणीके लग विशेष अनुरोध बा । धेर से धेर सुसूचित, प्रतिबद्ध ओ रचनात्मक छलफलहे प्रोत्साहित कर्ना यी प्रकाशन सफल हुइलेसे किल अपेक्षित उद्देश्य हासिल हुई । मिल्लक टिप्पणीके आधारमे यी पोष्टाके लावा ओ फादिल संस्करण तयार करे सेक्जाई ।

यी शृङ्खलाहे नेपालके कुछ मुख्य राष्ट्रभाषामे उल्था कैना क्रममे उच्च गुणस्तर कायम कैना ओ सम्बन्धित भाषक् बहुसंख्यक मनै बुझ्ना सही शब्द प्रयोग कैना हरसम्भव प्रयास कै गैल बा । शब्दावलीके उपयुक्त ओ सही प्रयोगबारे मेरमेरके भाषिक समुदायन्के बिच भविष्यमे छलफल ओ बहस हुइना अपेक्षा करे सेक्जाई । संवैधानिक संवाद केन्द्रके उद्देश्य ओइसिन बहसहे कौनो फेन मेरके छाँहीम नै पर्ना कि उ भाषाहे फेन समाबेश कैके यी प्रयासमे समावेश कैके ओ पहुँचके अधिकतम बृद्धि कैना हो ।

देशमे संविधान निर्माणसँगे सान्दर्भिक बिषयबस्तुबारेम संवैधानिक संवाद केन्द्रक तयार करे जैटी रलक शृङ्खलाबद्ध पाठ्यसामग्रीके एकठो अंश यी पोष्टा हो ।

सभासदन्से लेके यी बिषयबस्तुमे चासो ढैना सर्वसाधारणहे प्रमुख संबैधानिक अवधारणा ओ मुद्दामे सामिल करैना यी शृङ्खलाबद्ध प्रकाशनके उद्देश्य हो । शृंखला अन्तरगतके प्रत्येक पोष्टा नेपालमे बोल्ना मुख्य भाषा (नेपाली, भोजपुरी, थारु, मगर, तामाङ, नेवार) ओ अंग्रेजी भाषामे उपलब्ध बा । यी पाठ्सामग्रीक श्रव्य संस्करण (क्यासेट, डीभीडी) फेन उपलब्ध बा ओ इहीहे अनलाइनमे फेन ढै गैल बा ।

पहिला चरणमे यी प्रकाशन शृंखलामे समेटगैल बिषयबस्तु यी मेरके बा : राज्य ओ धर्म, संघीय प्रणाली, संबिधानमे मानव अधिकार, आदिवासी जनजातिन्के अधिकार, अल्पसंख्यकके अधिकार, सरकारके प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, विविधता ओ सामाजिक समावेशीकरण ओ सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रिया ।

संवैधानिक संवाद केन्द्र
तेसर तल्ला, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, नयाँ बानेश्वर, काठमाण्डौ
टेलिफोन नं. ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८
ई-मेल : **info@ccd.org.np**
वेबसाइट : **www.ccd.org.np**